कार्यालय–प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जबलपुर (म.प्र.)

–:: निविदा आमंत्रण सूचना ::–

नवीन जिला न्यायालय भवन जबलपुर में स्थापित शेष 18 नग कूलिंग डक्ट (ई.टी.एस.ए. प्लांट) के वाटर पेड, बेल्ट बदलवाए जाने एवं अन्य मरम्मत/सुधार कार्य कराए जाने के संबंध में पुनः ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जा रही है। इच्छुक व्यापारी/विक्रेता/निर्माण अपनी निविदाएं https://mptenders.gov.in के माध्यम से दिनांक 18.06.2025 से 07.07.2025 तक आयोजित किया गया है। जिसमें निविदा जमा किए जाने की दिनांक 08.07.2025 को समय 12:00 पी.एम. तथा प्राप्त निविदाएं दिनांक 08.07.2025 के दोपहर 02:00 बजे समिति के समक्ष खोली जावेगी। निविदा की शर्तें एवं सामग्री की संपूर्ण जानकारी म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाईड WWW.mphc.gov.in जिला न्यायालय जबलपुर की वेबसाईड https://jabalpur.dcourt.gov.in एवं https://mptenders.gov.in पर उपलब्ध है, जहां से निविदा प्रारूप एवं शर्तें डाउनलोड की जा सकती है।

प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जबलपुर म0प्र0

—:: **निविदा की शर्तें** ::—

1. नवीन जिला न्यायालय भवन जबलपुर में स्थापित 18 नग डक्ट (ई.टी.एस.ए. प्लांट) के मरम्मत/सुधार कार्य में भाग लेने वाले इच्छुक संस्था/व्यक्ति न्यायालय परिसर में कार्यालय समय 10:30 ए.एम. से 05:30 पी.एम. में जिला नाजिर नाजरात अनुभाग, जबलपुर की उपस्थिति में निरीक्षण कर सकते हैं।

2. 18 नग डक्ट (ई.टी.एस.ए. प्लांट) के वाटर पेड, बेल्ड बदलवाए जाने एवं अन्य मरम्मत/सुधार कार्य कराए जाने के पश्चात् कमरे का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रखा जाना है।

3. उक्त 18 नग डक्ट (ई.टी.एस.ए. प्लांट) का मरम्मत/अनुरक्षण कार्य अधिकृत अनुभव प्राप्त संस्था से कराया जाना है। इस संबंध में संबंधित को प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

4. नवीन जिला न्यायालय भवन जबलपुर में स्थापित 18 नग डक्ट (ई.टी.एस.ए. प्लांट) का मरम्मत/सुधार कार्य किए जाने हेतु न्यूनतम राशि स्वीकार करने का अधिकार माननीय क्रय समिति, जबलपुर का होगा। जिनका निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

5. नवीन जिला न्यायालय भवन जबलपुर में स्थापित 18 नग डक्ट (ई.टी.एस.ए. प्लांट) का मरम्मत/सुधार कार्य 15 दिवस के अंदर सुधार/मरम्मत कार्य करते हुए देयक (बैंक विवरण एवं जी.एस.टी. नंबर सहित) इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। साथ ही सर्विस चार्ज पृथक् से देय नहीं होगा।

6. निविदा के उपरांत प्रस्तुत देयक की राशि का भुगतान समस्त डक्ट के कूलिंग तापमान (24 से 26 डिग्री सेल्सियस) की जांच पश्चात् किया जाएगा। यदि डक्ट उपयुक्त शीतलता प्रदान नहीं करते हैं तो पुनः सुधार कार्य संबंधित द्वारा करना होगा। जिस हेतु उन्हें किसी भी प्रकार का भुगतान पृथक् से नहीं किया जावेगा।

7. किसी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार जबलपुर होगा।

8. नवीन जिला न्यायालय भवन जबलपुर में स्थापित 18 नग डक्ट (ई.टी.एस.ए. प्लांट) का मरम्मत/सुधार कार्य कराए जाने हेतु निविदाकर्ता को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।

9. उक्त डक्ट का सुधार/मरम्मत कार्य गुणवत्तापूर्ण न होने की स्थिति में माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जबलपुर के आदेशानुसार तत्काल प्रभाव से निविदाकर्ता की निविदा स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

10. निविदा में निविदाकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार की शर्त हो तो निविदाकर्ता उक्त शर्त का स्पष्ट उल्लेख अपनी निविदा में करें।

11. निविदा खोले जाते समय सर्वप्रथम तकनीकी बिड खोली जाएगी तथा तकनीकी बिड में सफलकर्ताओं की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी।

12. उक्त विज्ञप्ति का अवलोकन माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की अधिकृत वेबसाईट WWW.mphc.co.in पर, म.प्र. के ई–पोर्टल पर उपलब्ध है।

13. उक्त विज्ञप्ति का अवलोकन प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जबलपुर की वेबसाईट https://jabalpur.dcourt.gov.in पर किया जा सकेगा।

14. नियत दिनांक एवं समय के पश्चात् निविदा प्रस्तुत किए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा।

15. निविदा की अवधि दिनांक 18.06.2025 से 07.07.2025 तक आमंत्रित किया जाना है। जिसमें निविदा जमा किए जाने की दिनांक 08.07.2025 को समय 12:00 पी.एम. तथा निविदा खोले जाने की दिनांक 08.07.2025 के दोपहर 02:00 बजे नियत की गई है।

16. निविदाकर्ता जी.एस.टी. पंजीयन होने का प्रमाण होने का प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

17. निविदा प्रस्तुत करते समय निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी जिला नाजिर नाजरात अनुभाग, जबलपुर के मो.नं.–9893656262 पर संपर्क किया जा सकता है।

प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जबलपुर म0प्र0